रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 1 जून, 2004/11 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 2004

संख्या उद्योग-II(एफ)6-31/2001.—जिला सिरमौर में खनिज के खनन में अव्यवस्थित व अत्याधिक वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 58 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या उद्योग (छ)7-25/86, दिनांक 8-12-1986 द्वारा जिला सिरमौर के समस्त क्षेत्र (खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु पहले से स्वीकृत क्षेत्र के सिवाय) को, खनिजों का दोहन सरकार द्वारा करने हेतु, दिनांक 5-12-1986 से आरक्षित कर दिया है ।

और भू-आकृति विज्ञान और क्षेत्र के भूमि-प्रयोग तरीके (पैटर्न), आस-पास के क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक विरचना और संरचना, भू-भण्डार की गुणवत्ता और मात्रा को प्रमाणित करने हेतु विस्तृत अध्ययन करना अपेक्षित था, जिसे, क्षेत्र से खनिज निकालने/हटाने के पश्चात् उपयोग में लाया जा सकता है ।

और मैसर्ज विर्क एसोशिएटस ने दो अलग क्षेत्रों (i) जिला सिरमौर, तहसील शिलाई के मौजा दियान्डो में स्थित खसरा संख्या 742/1, तादादी 23-03 बीघा क्षेत्र में समाविष्ट भूमि तथा (ii) जिला सिरमौर, तहसील रेणुका के मौजा मैना गड़ेल में स्थित खसरा नम्बर 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 और 1276, तादादी 72-10 बीघा क्षेत्र में समाविष्ट भूमि में खनिज गलेना (लेड ओर) के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है ।

और खनिज गलेना, भूमि के छोटे अलाभकारी पैंचिज और पौकेटस में विद्यमान है, जो ऋतु प्रभाव से उत्पन्न होते हैं । इन अलाभकर भण्डारों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है । यदि गलेना के छोटे और अलाभकारी पौकेटस का दोहन नहीं किया जाता है तो कच्चे खनिज को नदियों में बह जाने की सम्भावना है जिसे नदियों का पानी भी विषाक्त हो सकता है ।

और यह पाया गया है कि यदि खनिज गलेना हेतु मैसर्ज विर्क एसोशिएटस के हित में, आवेदन किए गए क्षेत्रों के लिए, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दी जाती है तो यह गलेना के इन छोटे अलग-अलग भण्डारों के बारे में सूचना एकत्रित करने में सरकार को सहायक होगा और यदि वह भण्डार निकल जाते हैं तो यह न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार उत्पन्न कराने में सहायक होगा अपितु इससे सरकारी राजकोष के लिए राजस्व सृजित होगा । यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के दौरान, इस नए खनिज (ओर) के भण्डारों की उपलब्धता इस क्षेत्र में हो जाती है तो इससे क्षेत्र में खनिज दोहन का एक अनुकल्पिक मार्ग खुल जाएगा । गलेना (लैड ओर) के संग्रहण में, व्यापक स्तर पर कोई भी खनन नहीं होगा । अतः इससे क्षेत्र की परिस्थितिकी को कोई हानि नहीं होगी ।

और उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या उद्योग(छ)-7-25/86, दिनांक 8-12-1986 के उपबन्धों के शिथिलीकरण में मैसर्ज विर्क एसोशिएटस के हित में क्रमशः (i) जिला सिरमौर, तहसील शिलाई, मौजा दियान्डो में स्थित खसरा संख्या 742/1, तादादी 23-03 बीघा और (ii) जिला सिरमौर, तहसील रेणुका, मौजा मैना गड़ेल में स्थित खसरा संख्या 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 और 1276, तादादी 72-10 बीघा क्षेत्र में खनिज गलेना (लेड ओर) हेतु दो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां देने का विनिश्चय किया है ।

और अधिसूचना संख्या उद्योग-II(एफ0) 6-31/2001, तारीख 19-12-2003, जिसे राजपत्र (असाधारण) तारीख 29-12-2003 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिला सिरमौर, तहसील शिलाई, मौजा दियाण्डो में स्थित खसरा संख्या 742/1, तादादी 23-03 बीघा और जिला सिरमौर, तहसील रेणुका, मौजा मैना गड़ेल में स्थित खसरा संख्या 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 और 1276 तादादी 72-10 बीघा क्षेत्र को, अधिसूचना संख्या उद्योग (छ) 7-25/86 तारीख 8-12-1986 के कार्यक्षेत्र से बाहर लाने के लिए, अनारक्षित डिनोटीफाई किया गया है और राजपत्र में उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त से सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप/सुझाव भी मांगे गए थे ।

और उपर्युक्त के सम्बन्ध में नियत अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खनिज सलाहकार परिषद् की दिनांक 30-8-2000 को छब्बीसवीं बैठक के कार्यवृत्तों के साथ पठित खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, तहसील शिलाई, मौजा दियान्डो में स्थित क्षेत्र, खसरा संख्या 742/1, तादादी 23-03 बीघा और जिला सिरमौर, तहसील रेणुका, मौजा मैना गड़ेल में स्थित क्षेत्र, खसरा संख्या 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185, और 1276, तादादी 72-10 बीघा क्षेत्र को अधिसूचना संख्या उद्योग(छ) 7-25/86, दिनांक 8-12-1986 के कार्यक्षेत्र से बाहर लाने के लिए, खनिज गलेना (लेड ओर) हेतु आगे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने हेतु अनारक्षित/डिनोटिफाई करते हैं और यदि पूर्वेक्षण खनिज भण्डार स्थापित हो जाते हैं तो मैसर्ज विर्क एसोशिएटस के हित में खनन पट्टा देने हेतु मामले पर विचार किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (उद्योग) ।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Udyog-II(F)6-31/2001, dated 22-5-2004, as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd May, 2004

No. Ind. II(F)6-31/2001.—Whereas to check the haphazard and excessive growth of mining of minerals in District Sirmaur, the State Government has reserved entire area comprising in District Sirmaur of Himachal Pradesh (except the area already granted for Mining Lease/Prospecting Licence) for exploitation by the Government with effect from 5-12-1986 *vide* Notification No. Udyog(Chh)7-25/86, dated 8-12-1986, issued under rule 58 of the Mineral Concession Rules, 1960.

And whereas detailed studies were required to be undertaken for proving the deposits for the quality and quantity, Geological formation and structure in surrounding areas, physiography and the land use pattern of the area, which can be put to use after the mineral is removed from the area.

And whereas M/s Virk Associates has applied for two separate areas (*i*) land comprising in Khasra No. 742/1, measuring 23-03 Bighas, situated in Mauza Diando, Tehsil Shilai, District Sirmaur and (*ii*) land comprising in Khasra Nos. 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 and 1276 measuring 72-10 Bighas, situated in Mauza Maina Ghadel, Tehsil Renuka, District Sirmaur, for the grant of Prospecting Licence for mineral Galena (Lead Ore).

And whereas Mineral Galena exists in small uneconomic patches and pockets which are generated due to weathering. Factual Position of these small uneconomic deposits is not known. If small and uneconomic Galena pockets are not exploited, the ore is likely to flow down the rivers and is also likely to contribute to toxicity of the river waters.

And whereas it is felt that if prospecting licence for mineral Galena is granted in favour of M/s Virk Associates for the areas applied for, it would help State Government to gather information on these small isolated Galena deposits and if these are proved, it will not only generate employment to the local people but also generate revenue to the State exchequer. Availability of this new ore in the area, if proved during prospecting licence, shall also open an alternate avenue of mineral extraction in the area. In the collection of Galena (Lead Ore) no large scale mining is involved. Hence it will not cause any harm to the ecology of the area.

And whereas in view of the above the State Government has decided to grant two Prospecting Licences for mineral Galena (Lead Ore) in favour of M/s Virk Associates over an area (*i*) situated in Mauza Diando, Tehsil Shillai, District Sirmaur, comprising in Khasra No. 742/1, measuring 23-03 Bighas and (*ii*) situated in Mauza Maina Ghadel, Tehsil Renuka, District Sirmaur, comprising in Khasra Nos. 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 and 1276 measuring 72-10 Bighas, respectively in relaxation of the provisions of the Notification No. Udyog (Chh)7-25/86, dated 8-12-1986.

And whereas *vide* Notification No. Ind.II(F)6-31/2001, dated 19-12-2003, published in the official Gazette (Extra-ordinary) on 29-12-2003, areas situated in Mauza Diando, Tehsil Shillai, District Sirmaur, comprising in Khasra No. 742/1, measuring 23-03

Bighas and area situated in Mauza Maina Ghadel, Tehsil Renuka, District Sirmaur, comprising in Khasra Nos. 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185 and 1276, measuring 72-10 Bighas was proposed to de-reserve/denotify to bring the same out of the purview of Notification No. Udyog(Chh)7-25/86, dated 8-12-1986 and objection(s)/suggestion(s) from the interested persons in relation to above were also invited within a period of 30 days from the date of publication of above Notification in the Official Gazette.

And whereas no objection/suggestion has been received from any person in relation to above within stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under rule 59 of the Mineral Concession Rules, 1960 read with minutes of 26th meeting of the Mineral Advisory Council dated 30-8-2000 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to de-reserve/denotify the areas situated in Mauza Diando, Tehsil Shillai, District Sirmaur, comprising in Khasra No. 742/1, measuring 23-03 Bighas and area situated in Mauza Maina Ghadel, Tehsil Renuka, District Sirmaur, comprising in Khasra No. 1373/1142, 1401/1185, 1372/1142, 1400/1185, and 1276, measuring 72-10 Bighas to bring the same out of the purview of Notification No. Udyog(Chh)7-25/86, dated 8-12-1986 for further grant of prospecting Licence for mineral Galena (Lead Ore) and if during prospecting mineral deposits are proved, the case will be considered for grant of Mining Lease in favour of M/s Virk Associates.

By order,

Sd/-
A. C. S.-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित